

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या:-448/X-2-2014-212011
देहरादून: दिनांक 06 फरवरी, 2014

विज्ञप्ति

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ईमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 के नियम 3 के खण्ड (ग) शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर वानिकी क्षेत्रों से निम्न प्रजातियों से प्राप्त ईमारती लकड़ियों अथवा अन्य वन उपज के अभिवहन को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उक्त नियमावली के प्राविधानों से मुक्त रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क. इमारती लकड़ी एवं कोमल काष्ठ

1. यूकेलिप्टस की सभी प्रजातियां	-	Eucalyptus spp.
2. पोपलर (पहाड़ी पीपल को छोड़कर)	-	Populus spp. (except populus)
3. भैंस/मजनु	-	Salix spp.
4. विदेशी चीड़	-	Pinus spp. (except P. roxburghil & P. wallichiana)
5. विदेशी सुरई	-	Cupressus spp. (except Cupressus torulosa)
6. सिलवर ओक	-	Grevillea robusta
7. बाटल ब्रस	-	Callistemon spp.
8. रोबीनिया	-	Robinia pseudacacia
9. पोलोनिया	-	Poulownia spp.
10. सूबबूल	-	Leucaena leucocephala
11. पेपर मलबरी	-	Broussonetia papyrifera
12. जकराण्डा	-	Jacaranda mimosaefolia
13. वेटल (खेर को छोड़कर)	-	Acacia spp. (except Acacia catechu)
14. आडू	-	Prunus persica
15. सेब	-	Malus domestica
16. नाशपाती	-	Pyrus communis
17. अमरूद्ध	-	Psidium gujava
18. कदम्भ	-	Anthocephalus cadamba
19. बकैन	-	Melia spp.

ख. इमारती लकड़ी एवं कोमल काष्ठ

20. रीठा के फल, बीज व छिलका	-	Sapindus mukorossi
21. चीड़ पिरूल	-	Pine needles
22. लैण्टाना/कुरी	-	Lantana camara
23. यारसा गोम्बू (अभिवहन पास आवश्यक किन्तु अभिवहन शुल्क से छूट)	-	Cordyceps Spp. (transit pass required, fees exempted)

संख्या- 448(1)X-2-2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) के आगामी अंक में प्रकाशित करें एवं मुद्रित विज्ञप्ति की 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन),
अपर सचिव

संख्या- 448(2)X-2-2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली
2. समस्त प्रमुख सचिव,/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड को इस आशय से कि इस विज्ञप्ति को इन्टरनेट के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय को इस आशय से की इस विज्ञप्ति को इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन),
अपर सचिव

संख्या.....(3)X-2-2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजि सचिव- मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजि सचिव- मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजि सचिव- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या- 63/2013 के सम्बन्ध में इस आशय से कि मा0 मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा की पूर्ति उपरोक्तानुसार कर ली गयी है। अतः वन विभाग की घोषणाओं की सूची से उक्त घोषणा को विलुप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन),
अपर सचिव